



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.11.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि कल दिनांक 14.11.2025 को देर रात्रि थाना बबेरु पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तिन्दवारी रोड कस्बा बबेरु पर एक व्यक्ति के संदिग्ध रूप से भ्रमण करने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए ।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मन्नान खां पुत्र नौशाद खां निवासी हरदौली थाना बबेरु जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 474/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय बहादुर
2. उ0नि0 श्री रामेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 श्री सैफ अहमद अंसारी